न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—15/23 दायर दिनांक:— 19.01.2023

जीसीएमएस नं. 2023/27

उनवान

राजेन्द्र पुत्र जीवन जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——वादी

बनाम

पुष्पेन्द्र पुत्र रमेश जाति जैन निवास न्यु ब्रम्हपुरी कॉलोनी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——प्रतिवादीगण—11

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:— 25/7/24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार—बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 10.02.2023 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अत: मुकदमा न0 15/23 राजेन्द्र बनाम पुष्पेन्द्र आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:01:59 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली